

//1//
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 153/2018

उनवान

1. हैदरबेग पुत्र अहमद बेग,
2. माहम्मदी पत्नी साजन बेग,
3. मुराद,
4. हमीदा,
5. साहिरी,
6. महबूब,
7. सुरुमा,
8. रशीदा,
9. मस्ताना पि० साजन बेग,
10. जरीनरबेग पत्नी शेरे बेग,
11. महमूदा बेगम पुत्री शेरे बेग
12. रईसा बेगम पत्नी रफीक,
13. सददाम,
14. अलामाफी,
15. सरीफ बालिग,
16. सुल्तान, ना.बा.
17. मुश्ताक ना.बा. पि० रफीक जरिये संरक्षक माता रईसा ग्राम जिलावडा, नसीराबाद

वादीगण :- जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. बाबू बेग,
2. हसीना बेगम,
3. जरीना बेगम,
4. जमली बेगम,
5. छोटी बेगम
6. रहीश बेगम पि. हासम बेग जाति मुसलमान नि. जिलावडा, नसीराबाद,
7. राज० सकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

प्रतिवादीगण :- 1 से 6 अनुपस्थित, 7 जरिये राज० पैराकार


वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 रा० का० अधि० 1955 सपठित धारा 131 भू राज० अधि० 1956

-: निर्णय :-

दिनांक :- 19.6.14

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा में वादीगण की खातेदारी/काश्तकारी की आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-




उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चौसाला ख.न.	रकबा	वर्किंग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
364	0-16-0	164	0-16-0	191	0.01
				190 मिन	0.14
365	36-7-10	238	9-10-0	189	1.18
	1-10-0			188/5833	0.36
	0-9-0	239	22-1-0	187	2.68
	9-2-10			209	0.05
	9-2-10			205/5202	0.12
				204/5201	0.08
				188/5834	0.64
		240	25-0-0	188	1.70
				188/5324	2.12
	692			0.23	

उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 364 व 365 में 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 हैदर के पिता व अन्य वादी के पूर्वज अहमद बेग पुत्र कम्माबेग के द्वारा दिनांक 15.03.55 को विक्रय पत्र पेश कराते हुये दिनांक 24.03.55 को पंजीयन कराया। कुल 18-5-0 का आधा हिस्सा 9-10-10 कय किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्वज पीरुबेग पुत्र पौना बेग के द्वारा दिनांक 24.1.55 को चौसाला ख.न. 364, 365 का आधा हिस्सा 9-10-0 कय किया गया। कंतागण अहमद की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है। कंता पीरु बेग की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस हासम बेग व कासम बेग में से कासम नाओलाद फौत हो गया है व हासम के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ही है। उक्त आराजी वर्किंग जमाबंदी में कंतागण के नाम दर्ज की गयी। किन्तु उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 187 रकबा 2.68, 209 रकबा 0.05, 205/5202 रकबा 0.12, 204/5201 रकबा 0.08, 188/5834 रकबा 0.64 को सिवायचक दर्ज कर दिया व हाल खसरा नम्बर 188 रकबा 1.70, 188/5324 रकबा 2.12, 692 रकबा 0.23 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम गलत अंकित कर दी गयी। वादी व प्रतिवादी के पूर्वज द्वारा संयुक्त रूप से आधा हिस्सा कय किया था। किन्तु वादीगण की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम गलत अंकित कर दिया गया है। तथा पूर्व नक्शा ट्रेस को परिवर्तित करते हुये हाल राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण अंकन कर दिय है। अतः आराजी मुतनाजा का राजस्व अभिलेख व मानचित्र में इन्द्राज दुरुस्त करते हुये आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।


बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। अहमद बेद पुत्र कम्मा बेग ने दिनांक 24.3.55 को चौसाला खसरा नम्बर 364 रकबा 0-16-0 व 365 रकबा 18-05-0 कुल 19-1-0 में से 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्वज पीरुबेग पुत्र पौना बेग के द्वारा दिनांक 24.1.55 को चौसाला खसरा नम्बर 364 रकबा 0-16-0 व 365 रकबा 18-05-0 कुल 19-1-0 में से 1/2 हिस्सा कय किया गया। वर्किंग जमाबंदी में वर्किंग खसरा नम्बर 240 रकबा 25-0-0 पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्वज के नाम कर दिया गया, तथा उक्त वर्किंग जमाबंदी में नोट अंकित है कि

खसरा नम्बर 240 रकबा 25-0-0 में से 14-15-0 रकबा सिवायचक दर्ज हुआ। इस प्रकार प्रतिवादीगण के नाम उक्त 25-0-0 में से 9-5-0 रकबा ही खातेदारी रहा है। जबकि वकिंग खसरा नम्बर 188 रकबा 1.70, 188/5324 2.12, 692 रकबा 0.23 पूर्ण हिस्सा ही प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि हाल खसरा नम्बर का 9-5-0 रकबा ही प्रतिवादी/पूर्वज के नाम दर्ज करना चाहिये था। वादीगण का कथन है कि उसके पूर्वज द्वारा व प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा बराबर-बराबर रकबा कय किया था किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में राजस्व मानचित्र व जमाबंदी में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज कर दिये गये। किन्तु वकिंग जमाबंदी व राजस्व मानचित्र अनुसार ही हाल राजस्व मानचित्र व जमाबंदी में वादीगण की भूमि का इन्द्राज किया गया है। उनके पूर्वज द्वारा विक्रय पत्र में अलग-अलग रकबा कय किया है। वादीगण की भूमि विक्रय पत्र अनुसार प्रतिवादीगण की भूमि भी विक्रय पत्र अनुसार दर्ज की गयी है। किन्तु प्रतिवादी के पूर्वज द्वारा जितना रकबा कय किया था उससे अधिक रकबा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं। उनके द्वारा वाद का कोई खण्डन नहीं किया है। वादीगण द्वारा जितनी भूमि कय की गयी है उतनी भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है। वादीगण आराजी मुतनाजा पर दुरुस्ती के अधिकारी नहीं हैं। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम अधिक भूमि अंकित है। अतः प्रतिवादी के नाम दर्ज अधिक आराजी सिवायचक करना न्यायोचित है।

उक्तानुसार ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 188 रकबा 1.70, 188/5324 रकबा 2.12 व 692 रकबा 0.23 की आराजी पर वादीगण का वाद "खारिज" किया जाता है। खसरा नम्बर 188 में से 1.08 व 188/5324 रकबा 2.12 में से 1.49 की आराजी सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

